# प्रैक्टिकल फ़ाइल के संबंध में नियम

विषय व्यावसायिक नैतिकता, वकीलों के लिए जवाबदेही और बार-बेंच संबंध (K-3005) की प्रैक्टिकल फ़ाइल के संबंध में छात्रों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल फ़ाइल को इसके साथ प्रदान की गई सामग्री (सूचकांक) और निर्देश की सूची के अनुसार सख्ती से तैयार किया जाना है।

**फ़ाइल तैयार करने के नियम एवं निर्देश**:

- फाइल प्रत्येक छात्र को **केवल अपनी लिखावट** में ही तैयार करनी होगी।
- आपके तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में फ़ाइल **में ४०अंक होंगे और वाइवा में १० अंक (कुल ५०)** होंगे।
- फ़ाइल **A4 आकार के कागज पर (केवल एक तरफा)** बिना बॉर्डर के उचित दूरी के साथ तैयार की जाएगी, लेकिन मार्जिन कागज के बाईं ओर (१.0") और दाईं ओर (0. ५") पर सेट किया जाएगा। कागज़ सादा होना चाहिए (लाइनों या ड्राइंग पेपर वाले पृष्ठों की अनुमति नहीं है)।
- पृष्ठ के पीछे की ओर कोई लेखन नहीं होगा।
- छात्र प्रैक्टिकल फाइल लिखने के लिए केवल काले एवं नीले रंग के बॉल पेन का उपयोग करेंगे।
- कवर पेज चमकदार कागज पर रंगीन मुद्रित किया जाएगा।
- पूरी फाइल २९ अक्टूबर २०२३ तक निरीक्षण और जांच के लिए विषय शिक्षक को बिना किसी स्पाइरल के प्रस्तुत की जाएगी। किसी भी कारण से उपरोक्त तिथि के बाद किसी भी फाइल का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- छात्रों को उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर या उससे पहले पूरी फाइल जमा करने का सुझाव दिया जाता है। जांच के बाद सुधार की अनुमति दी जा सकती है लेकिन किसी को भी लंबित या शेष कार्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो पहली प्रस्तुति के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था।

***जो छात्र-छात्राएं उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहेंगे वे आगे के परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।***

# मॉडर्न कॉलेज ऑफ लॉ, गाजियाबाद

**(चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित)**

# व्यावसायिक नैतिकता, अधिवक्ताओ के लिए जवाबदेही और बार-बेंच संबंध

## एलएल.बी. की एक प्रैक्टिकल फाइल

## तृतीय सेमेस्टर

## (के-३००५)

## सत्र (२०२३-२४)

सुश्री साक्षी दीक्षित
सहायक प्रोफेसर
एमसीएल, सीसीएसयू मेरठ
को प्रस्तुत किया गया

नाम .....
पिता का नाम.....
अनुक्रमांक संख्या .....
नामांकन संख्या.....
के द्वारा प्रस्तुत किया गया

टिप्पणी.....।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

# अभिस्वीकृति

मैं अपने विषय की संकाय प्रभारी सुश्री साक्षी दीक्षित और हमारे विभागाध्यक्ष श्री अंकुर गुप्ता और प्रिंसिपल डॉ. निशा सिंह को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यह अद्भुत काम करने का सुनहरा अवसर दिया। काम। अपनी प्रैक्टिकल फाइल को निष्पादित करने में, मैं विभिन्न तरीकों से मेरी मदद करने के लिए सभी संकाय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन सभी के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल फ़ाइल लिखने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं सहपाठियों और टीम के सदस्यों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुमूल्य टिप्पणियाँ और सुझाव दिए जिससे मुझे अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को बेहतर बनाने में मदद मिली।

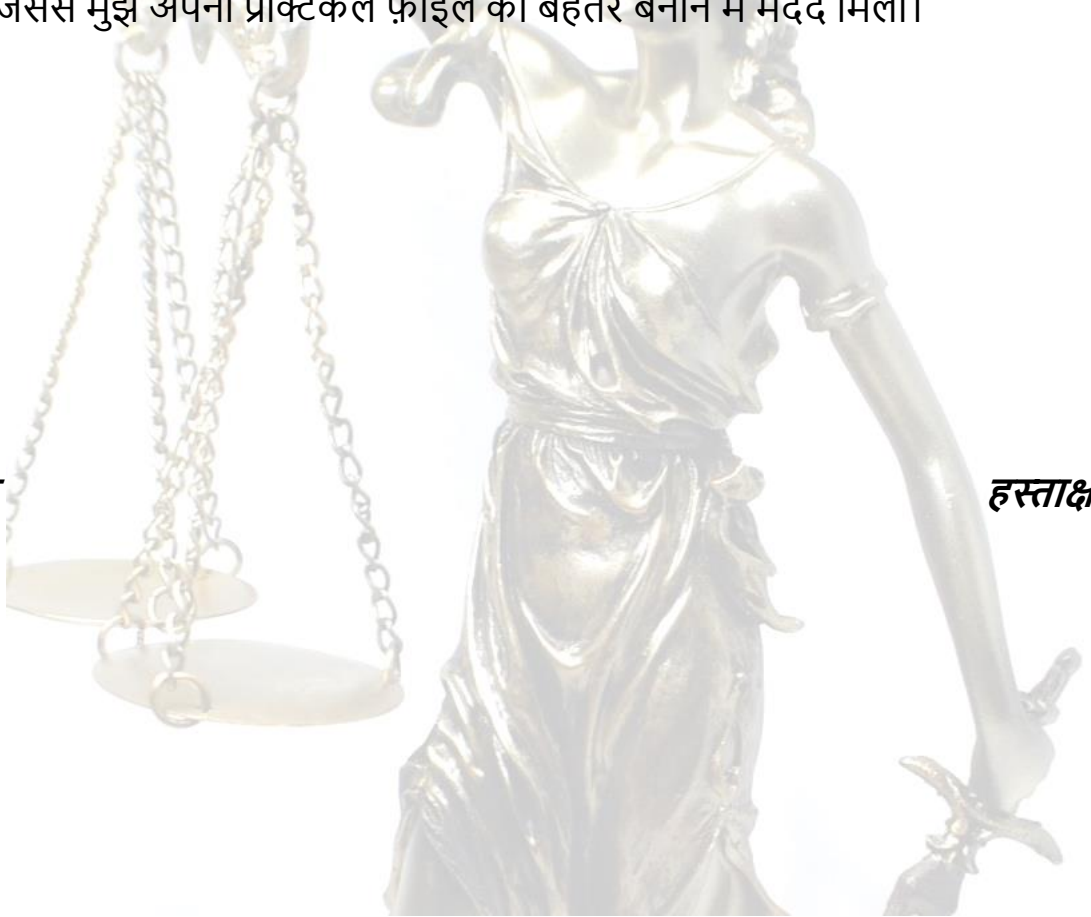

***तिथि*** ***हस्ताक्षर***

## अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | विषयवस्तु | पृष्ठ क्रमांक | संबंधित शिक्षक का चिन्ह |
|---|---|---|---|
| | **भाग-ए (अधिवक्ता अधिनियम-1961)** | | |
| 1) | अधिवक्ताओ की व्यावसायिक नैतिकता और जवाबदेही क्या है? पेशे और व्यवसाय के बीच अंतर पर भी चर्चा करें। | | |
| 2) | भारत में विधिक पेशे की प्रकृति और महत्व पर चर्चा करें? अधिवक्ता कानून सुधार में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं और उन्हें वास्तविक मामलों को ही स्वीकार करना चाहिए, स्पष्ट करें। | | |
| 3) | संक्षेप में चर्चा करें:<br>· भारतीय विधिक परिषद की स्थापना<br>· राज्य विधिक परिषद की शक्तियां एवं कार्य<br>· भारतीय विधिक परिषद की शक्तियां एवं कार्य<br>· अखिल भारतीय विधिक परीक्षा<br>· अनुशासनात्मक समिति | | |
| 4) | निम्नलिखित पर एक नोट लिखें:-<br>· विधिक शिक्षा समिति<br>· लोकहित याचिका<br>· पूर्व सुनवाई का अधिकार<br>· न्यायिक पुनर्विलोकन<br>· वरिष्ठ अधिवक्ता | | |
| 5) | बार और बेंच के संबंध पर चर्चा करें? | | |
| 6) | निम्नलिखित का केस लॉ सहित अर्थ एवं उद्देश्य:-<br>· बन्दी प्रत्यक्षीकरण<br>· परमादेश<br>· अधिकार परछा<br>· प्रतिषेध | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ·उत्प्रेषण | | |
| **7)** | पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक<br>I. न्यायालय के प्रति कर्तव्य<br>II. मुवक्किल के प्रति कर्तव्य<br>III. विरोधी अधिवक्ता के प्रति कर्तव्य<br>IV. सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य<br>V. अन्य कर्तव्य | | |
| **8)** | व्यावसायिक कदाचार से आप क्या समझते हैं? पेशेवर कदाचार के लिए दंड पर चर्चा करें, पेशेवर कदाचार के मामले में उपलब्ध उपायों पर भी चर्चा करें। कम से कम दो प्रमुख केस कानूनों पर चर्चा करें। | | |
| | **<u>भाग-बी (न्यायालय की अवमानना अधिनियम-1971)</u>** | | |
| **9)** | न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करें:<br>I. न्यायालय की अवमानना' का विकास और आवश्यकता<br>II. न्यायालय की अवमानना, सिविल तथा आपराधिक अवमानना का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य<br>III. न्यायालय की अवमानना के लिए सजा की प्रकृति और सीमा<br>IV. भारत में न्यायालयों को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियाँ हैं?<br>V. न्यायालय की अवमानना अधिनियम की संवैधानिक वैधता<br>VI. सिविल और आपराधिक अवमानना में अवमाननाकर्ता को बचाव उपलब्ध<br>VII. अवमाननाकर्ता के लिए उपचार उपलब्ध<br>VIII. अवमानना के लिए सज़ा<br>IX. न्यायाधीशों, वकीलों, राज्य और कॉर्पोरेट निकायों द्वारा अवमानना<br>X. कम से कम दो प्रमुख केस अध्ययन: -<br>▪ सिविल अवमानना<br>▪ आपराधिक अवमानना | | |

# भाग-ए

# भाग-बी